

ब्रू-रियांग ऐतहासिक समझौता

प्रिलमिस के लिये:

ब्रू जनजाति

मेन्स के लिये:

ब्रू-रियांग शरणार्थी समस्या के समाधान में नए समझौते का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा और मजोरम सरकार तथा ब्रू-रियांग (Bru-Reang) प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बंदि

- इस नए समझौते के तहत लगभग 23 वर्षों से चल रही ब्रू-रियांग शरणार्थी समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा और लगभग 34 हजार लोगों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा।
- इन सभी लोगों को राज्य के नागरिकों के समान सभी अधिकार दिये जाएंगे और ये केंद्र व राज्य सरकारों की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- इस नई व्यवस्था के अंतर्गत वसिस्थापित परिवारों को 40x30 फुट का आवासीय प्लॉट, आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार को पहले समझौते के अनुसार 4 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट, दो साल तक 5 हजार रुपए प्रतिमाह नकद सहायता, दो साल तक फ्री राशन व मकान बनाने के लिये 1.5 लाख रुपए दिये जाएंगे।
- इस नई व्यवस्था के लिये भूमिकी व्यवस्था त्रिपुरा सरकार करेगी।
- भारत सरकार, त्रिपुरा और मजोरम सरकार तथा ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के तहत लगभग **600 करोड़ रुपए की सहायता राशि** केंद्र द्वारा दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1997 में जातीय तनाव के कारण करीब 5,000 ब्रू-रियांग परिवारों, जसिमें करीब 30,000 व्यक्ति थे, ने मजोरम से त्रिपुरा में शरण ली।
- इन लोगों को कंचनपुर, उत्तरी त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में रखा गया।
- भारत सरकार वर्ष 2010 से ब्रू-रियांग परिवारों को स्थायी रूप से बसाने के लिये लगातार प्रयास करती रही है। इन प्रयासों के तहत वर्ष 2014 तक विभिन्न बैचों में 1622 ब्रू-रियांग परिवारों को मजोरम वापस भेजा गया।
- ब्रू-रियांग वसिस्थापित परिवारों की देखभाल व पुनर्स्थापन के लिये भारत सरकार त्रिपुरा व मजोरम सरकारों की सहायता भी करती रही है।
- 3 जुलाई, 2018 को भारत सरकार, मजोरम व त्रिपुरा सरकार तथा ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों के बीच हुए एक समझौते के बाद ब्रू-रियांग परिवारों को दी जाने वाली सहायता में काफी वृद्धि की गई है। समझौते के उपरांत वर्ष 2018-19 में 328 परिवार, जसिमें 1369 लोग शामिल थे, त्रिपुरा से मजोरम वापस भेजे गए। लेकिन अधिकांश ब्रू-रियांग परिवारों की यह मांग थी कि सुरक्षा संबंधी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें त्रिपुरा में ही बसा दिया जाए।

ब्रू जनजाति के बारे में

- ब्रू जनजाति को त्रिपुरा में रियांग के नाम से भी जाना जाता है। यह [विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों](#) (Particularly Vulnerable Tribal Group-PVTG) के रूप में वर्गीकृत 75 जनजातीय समूहों में से एक है।
- इस जनजाति के सदस्य त्रिपुरा और मजोरम के अलावा असम तथा मणिपुर में भी निवास करते हैं।

- तरपुरी जनजाति के बाद यह तरपुरा की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बरू-रयांग जनजाति मुख्य रूप से दो बड़े गुटों- **मेस्का और मोलसोई** में वभाजति है।
- जी.के. घोष की पुस्तक '**Indian Textiles: Past and Present**' के अनुसार, इस जनजाति की महिलाएँ बुनाई का काम भी करती हैं लेकिन ये कुछ गनि चुने कपड़े ही बुनती हैं जो इस प्रकार हैं-



- **रनाई (Rinai):** महिलाओं द्वारा कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र।
 - **रसा (Risa):** महिलाओं द्वारा वक्ष पर पहना जाने वाला वस्त्र।
 - **बासेई (Basei):** महिलाओं द्वारा बच्चों को शरीर पर बाँधने के लिये प्रयोग किया जाता है।
 - **पानद्री (Pandri):** पुरुषों द्वारा कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र।
 - **कूताई (Kutai):** शर्ट के समान होता है जिसे पुरुष और महिलाएँ दोनों द्वारा पहना जाता है।
 - **रकितु (Rikatu):** आयताकार वस्त्र जिसे शरीर को लपेटने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।
 - **बाकी (Baki):** यह रकितु की तुलना में थोड़ा भारी होता है।
 - **कामचाई (Kamchai):** इसे सरि पर लपेटने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।
- हद्दि धर्म के वैष्णव संप्रदाय को मानने वाली रयांग जनजाति के प्रमुख को 'राय' कहा जाता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

और पढ़ें..

[भारत के जनजातीय समुदायों पर शाशा समिति की रिपोर्ट](#)

[बरू जनजाति समस्या](#)

[बरू शरणार्थी समझौता](#)